

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-22
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100819

दिनांक: 13/07/2026

लोक सूचना

श्री JSV BUILDTECH PRIVATE LIMITED DIRECTOR JOGENDRA KUMAR SONI पुत्र श्री RATAN LAL SONI जाति MAHAJAN निवासी OFF. S.NO. 1547, HALWAI SAMITI, KACHOLIYO KI GALI. JAIPUR, RAJASTHAN 302003

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	गणेशपुरा, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) जेएसवी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जोगेंद्र कुमार सोनी पुत्र रतन लाल सोनी हिस्सा पूर्ण जाति सोनी सुनार मकान संख्या 165 166 S BLOCK कॉलोनी महावीर नगर टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर क्षेत्र / स्थान जयपुर शहर जयपुर पिन कोड 302018 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	339	0.5184	0.5184
2.	गणेशपुरा, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) JSV BUILDTECH PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) रजिस्टर्ड ऑफिस शॉप नंबर 1547 हलवाई समिति कचोलियो की गली जयपुर सिटी जयपुर राजस्थान खातेदार	340	0.9231	0.9231

3.	गणेशपुरा, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) JSV BUILDTECH PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) रजिस्टर्ड ऑफिस शॉप नंबर 1547 हलवाई समिति कचोलियो की गली जयपुर सिटी जयपुर राजस्थान खातेदार	342	0.4805	0.4805
4.	गणेशपुरा, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) JSV BUILDTECH PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) रजिस्टर्ड ऑफिस शॉप नंबर 1547 हलवाई समिति कचोलियो की गली जयपुर सिटी जयपुर राजस्थान खातेदार	343	0.0126	0.0126
5.	गणेशपुरा, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) JSV BUILDTECH PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) रजिस्टर्ड ऑफिस शॉप नंबर 1547 हलवाई समिति कचोलियो की गली जयपुर सिटी जयपुर राजस्थान खातेदार	550/338	0.9411	0.9411
कुल					2.8757

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **13-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & LOKMAT

